न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2015 विविध विविध/3889-I-15

मूलचन्द मीणा पुत्र करन सिंह मीणा

(पटवारी तहसील–कुरवई जिला–विदिशा)

निवासी ग्राम लेटनी तहसील–कुरवई

जिला–विदिशा म.प्र.

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

इस माननीय न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 3897–1/2013 में पारित आदेश दिनांक 20–04–2015 का पालन कराये जाने हेतु आवेदन पत्र.

महोदय,

आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है–

1. यह कि, आवेदक तहसील कुरवई के पटवारी हल्का क्रमांक–38 के लिये पटवारी पद पर कार्यरत था.

2. यह कि, आवेदक के विरूद्ध की गयी आधारहीन कार्यवाहीं में आवेदक को पटवारी पद से पृथक किये जाने पर आवेदक ने इस माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया था जिसे इस माननीय न्यायालय ने दिनांक 20–04–2015 को स्वीकार कर आवेदक को पुनः पटवारी पद पर पदस्थ किये जाने के आदेश प्रदान किये थे पुनरीक्षण प्रकरण में पारित आदेश 20–04–2015 की प्रति संलग्न की जा रहीं है.

3. यह कि, दिनांक 20–04–2015 की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त कर आवेदक ने दिनांक 07–05–2015, दिनांक 24–06–2015 को अनुविभागीय अधिकारी महोदय कुरवई के समक्ष आवेदक को पुनः पदस्थ किये जाने के लिये आवेदन प्रस्तुत किये दोनो उक्त आवेदनो की प्रति इस आवेदन के साथ संलग्न की जा रहीं है.

4. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा आवेदक के आवेदनों पर कोई कार्यवाहीं न किये जाने पर आवेदक ने कलेक्टर महोदय जिला–विदिशा के समक्ष दिनांक 14–10–2015 को इस न्यायालय के आदेश की प्रति एवं अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये आवेदन की प्रति प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि राजस्व मण्डल के आदेश के पालन में आवेदक की पदस्थापना की जायें परंतु अभी तक उचित निर्देश प्रदान नहीं किये है.

5-8-16

प्रकरण प्रस्तुत। पक्षकार पूर्ववत् । अवलोकन किया गया।

2/ न्यायालयीन प्रकरण कमांक 3897-एक/2013 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20-4-2015 के पालन न करने के कारण आवेदक व्दारा विविध आवेदन प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 20-4-15 का पालन कराये जाने की प्रार्थना की गई है। तदानुकम में अनुविभागीय अधिकारी, कुरवाई जिला विदिशा से उत्तर तलब किया गया। अनुविभागीय अधिकारी, कुरवाई व्दारा प्रस्तुत उत्तर दिनांक 5-8-2016 का अवलोकन किया। तद्नुसार आदेश दिनांक 20-4-2015 के पालन में प्रशासनिक कार्यवाही शासन स्तर पर विचार में होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में विविध आवेदन पर निर्णय लेना संभव है। यदि शासन स्तर से निर्णय न होने के वाद भी अनुविभागीय अधिकारी व्दारा आदेश दिनांक 20-4-2015 का पालन नहीं किया जाता है, आवेदक अवमानना अधिनियम के अधीन प्रकरण दायर करने हेतु स्वतंत्र है। अतएव आवेदक व्दारा प्रस्तुत विविध आवेदन पर निर्णय लिये जाने का औचित्य न होने से इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है।

सदस्य